आज आयोजित राष्ट्रीय एवं मेगा लोक अदालत में प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- (1) पीडित म.प्र.शासन की ओर से प्रार्थी वन संरक्षक / उपसंरक्षक / सहायक संचालक परिक्षेत्र अधिकारी श्री एन.के.मिश्रा उपस्थित होकर वन अधिनियम की धारा—1927 की धारा 68 के अंतर्गत राजीनामा हेतु आवेदन पेश किया। जिस पर विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- (2) आरोपी पर भारतीय वन अधिनियम की धारा—1927 की धारा 26 के अंतर्गत अवैध रूप से वृक्ष काटने / वन भूमि पर कब्जा करने का आरोप है, जो कि प्रतिकर अदा किये जाने के पश्चात् राजीनामा किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा बतलाया गया है कि आरोपी ने प्रतिकर की राशि 500 / रूपये अदा कर दिया है। प्रार्थी लोक सेवक है, विधि अनुसार राजीनामा करने में सक्षम है। राजीनामा उचित एवं विधिपूर्ण है। अतः राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा के प्रभाव से आरोपी को धारा—26(1)(ख) वन अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में जप्त लकडी / वन भूमि वन विभाग के सुपुर्द किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

> (सिराज अली) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट